(194)

बु•वि• / 376297 / 2011 / सुझाव पत्र / दि•वि•प्रा• / 291 दिनॉक: 12 / 12 / 2011

सेवा मे,
आदरणीय कमल नाथ जी,
शहरी विकास मॅत्रालय, भारत सरकार,
निमार्ण भवन, नई दिल्ली:110011.

आग्राहकर्ता:
राकेश कुमार
जी–27 बुद्ध विहार,फेस–1,दिल्ली–110086.
मोबाइल: 9968241017

कुल 3 पृष्ठ

विषय:–दिल्ली मुख्य योजना–2021 के पुर्नदालोकन / पुनःविचार की प्रकिया में मॉगे गये सुझाव हेतु पत्र तथा पुराने पत्रो का स्मरण पत्र !

Director (Plg.) MPR/TC,
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
Dy.No. 1664
Dated 15/12/11

महोदय,

आपके कार्यालय में दिल्ली मुख्य योजना–2021 परिर्वतन हेतु बु•वि• / 376297 / शु•वि•मॅ त्रा• / 2011 / स्मरण पत्र / 66–67, दिनांक: 04•04•11, बु•वि• / 376297 / शु•वि•मॅ त्रा• / 2011 / याचना / 79–80, दिनांक: 11•04•11, बु•वि• / 376 दि•वि•प्रा• 297 / शु•वि•मॅत्रा• / 2011 / स्मरण पत्र / 97–99, दिनांक: 09•05•11, पत्रो को प्रेषित किया था तथा निदेशक दिल्ली मुख्य योजना दि• वि• प्रा• विकास मीनार में पत्र सॅ• / 103 / याचना / राकेश कुमार,जी–27 बुद्ध विहार दिनांक: 20•12•2010, बु•वि• / 376297 / 09 / 2011 / दि•वि•प्रा•स्मरण पत्र / 2011, दिनांक:19•1•10,और आयुक्त ऍव सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण को बु•वि• / 376297 / आयुक्त दि• वि• प्रा• / 39 / 2011, दिनांक: 05•03•2011 को दिया व बु•वि• / 376297 / आयुक्त दि•वि•प्रा• / 50–51 / 2011, दिनांक: 05•03•2011 को आयुक्त व निदेशक दिल्ली विकास प्राधिकरण को 14•03•11 को दस्ती दिया तथा बु•वि• / 376297 / आयुक्त व उपाध्यक्ष दि•वि•प्रा• / 2011 / 56–57,दिनांक:28•03•11 को दस्ती दिया व बु•वि• / 376297 / आयुक्त व उपाध्याक्ष दि•वि•प्रा• / 2011 / स्मरण पत्र / 89–90 दिनांक: 16•05•11 को दस्ती दिया तथा बु•वि• / 376297 / अति• आयुक्त व निदेशक दि•वि•प्रा• / 2011 / 54–55 व 91 दिनांक: 16•05•11 को दस्ती दिया तथा उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण को बु• वि• / 376297 / 2011 / स्मरण पत्र / दि• वि• प्रा• / 42 व 120, 07•03•11 को भी दिनांक: 16•05•11 को दस्ती दिया तथा बु•वि• / 376297 / राज्य पाल कार्या• / 2011 / स्मरण पत्र / दि•वि• प्रा• / 87,दिनांक: 5•05•11 को दिनांक: 9•05•11 दस्ती दिया गया है इन अनेक पत्रो को प्रेषित करने के पश्चात् अब तक उपरोक्त कार्यालय में से अब तक की गई कार्यावाही सटीक / यथावत् है। दिनांक: 11•12•2011 के समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा दिल्ली मुख्य योजना–2021 के पुर्न--वालोकन / पुनःविचार हेतु सुझाव मॅागे गये है, इसी संदर्भ में उपरोक्त पत्रो में दिये गये सुझावो को एकत्र करके कृप्या निम्न सुझावो को जोड कर अवलोकन कर दिल्ली मुख्य योजना–2021 में परिर्वतन करने की असीम अनुकम्पा करें, क्योंकि नियम व कानूनो का इस प्रकार से सरकार / प्रशासन और प्रजा के सर्व वर्गो में समान व उचित समन्यवय् होना चाहिए जिससे सामाजिक असमान्यता उत्पन्न ना हो तथा नियम व कानूनो का निमार्ण इस प्रकार का हो जिससे समाज में सरकार व प्रशासन के प्रति नेक सन्देश जाये ना कि गलत सन्देश जाये जैसा इन्ही दिनो हुआ है जिसे मिडिया ने दर्शाया भी है दर्शायी गई छवि वास्तव में तुच्छय् मात्र है।

O.S.D. (PLG) 468
Diary No. 14/12/2011

अधोहस्ताक्षरी मतअनुसार **MPD-2021** में होने वाले परिवर्तन पर सुझाव

1. ऐसे स्टाक / उत्पाद को व्यवयायिक ईकाइयो / दुकानो में रखने से व्यक्तियों के स्वास्थ्य को हानि ना हो उन सभी बेचने वाले उत्पादो को मिश्रित श्रेणी / सडको पर करने की छूट का प्रावधान **MPD-2021** में दिया जाये।

Pertains to MPPR
13/12
OSD (Plg) MPPR
15/12
Dir (MPR)
Asstt Dir (PS) MPR
Ms Kataria
15/12

2. **MPD-2021** में शहरी निवासियो की त्यौहारो व उत्तसवो की आवश्यकताओ के मध्य नजर सभी त्यौहारो के अस्थायी व्यापार की सभी श्रेणियो को **MPD-2021** मे को शामिल करने की कृपा करें।

(क) त्यौहारो व उत्तसवो के अस्थायी व्यापारो को करने के लिए सभी क्षेत्रो में अस्थायी व्यापार स्थलो की व्यवस्था करने की कृपा करें।

3. **MPD-2021** के अध्याय सँख्या 15•5, 15•6•2, 15•6•3 में शहरी निवासियो की और आवश्यकताओ के मध्य नजर नई स्थायी व अस्थायी व्यापार की श्रेणियो को शामिल करने की कृपा करें, जिससे एक क्षेत्र के निवासियो की सभी आवश्यकताएँ उसी क्षेत्र में पूरी हो।

अथवा

मिश्रित श्रेणी का व्यवयायिक श्रेणी में विलय करने की व्यवस्था करें जिससे व्यवयायिक असमानता खत्म हो।

अथवा

लैन्ड यूज बदलने कि प्रक्रिया को आसान बना कर सभी व्यवयायिक ईकाइयो/दुकानो को दि• वि• प्रा• की बनी ईकाइयो/दुकानो के समान दर्जा देने का प्रबन्ध करें।

अथवा

यदि फिर भी मिश्रित श्रेणी रखने की आवश्यकता हो तो मिश्रित श्रेणी की गणना करने के सूत्र 50% से 70 % तक के सूत्र को 30% से 50% तक कर सभी अधिसूचित मिश्रित सडको को व्यवयायिक श्रेणी में बदलने की व्यवस्था करें।

4.व्यवयायिक सडको की गणना करने के सूत्र 70% अधिक तक की व्यवयायिक ईकाइयो/दुकानो के सूत्र को 50% अधिक तक की व्यवयायिक ईकाइयो/दुकानो के सूत्र में परिर्वतन करने की व्यवस्था करें। तथा बकाया सभी अधिकृत व अनाधिकृत बसतियो की सडको भी समय सीमा के साथ जल्दी अधिसूचित करने की व्यवस्था व्यवस्था करें।

5.मिश्रित श्रेणी व व्यवयायिक श्रेणी की सडको के भवनो से सिविक ऐजेनसियो द्वारा रजिस्टेशन, कनर्वजन, व पार्किग चार्ज लेने के पश्चात् सिविक ऐजेन्सियो द्वारा फ्री पार्किग की व्यवस्था हो।

6.सिविक ऐजेनसियो द्वारा दिल्ली की व्यवयायिक ईकाइयो/दुकानो से व्यवयायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर लेने के पश्चात् उस सम्पत्ति को व्यवयायिक दर्जा/श्रेणी प्राप्त हो जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है।

7. सुझाव नम्बर–5 व 6 मे केवल एक प्रकार का ही कर लिया जाये या व्यवयायिक सम्पत्ति कर खत्म हो।

8. लाईसेन्स बनाने की प्रकिया सरल व लचीली तथा कम खचीली हो या सिविक ऐजेनसियो द्वारा रजिस्टेशन, कनर्वजन, व पार्किग चार्ज लेने के पश्चात् रजिस्टेशन व कनर्वजन चार्ज को ही लाईसेन्स की दर्जा/श्रेणी दे दि• वि• प्रा• की बनी ईकाइयो/दुकानो के समान दर्जा देने का प्रबन्ध करें।

9. सिर्फ दि• वि• प्रा• की बनी ईकाइयो/दुकानो से ही व्यवयायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर लिया जाये।

(192)

10. रिहायशी क्षेत्रो में मोबाइल व इनटर नेट टावरो को हटवाने की व्यवस्था करें।

11. शहरो में गाडियो कि बढती तादद् से रिहायशी क्षेत्रो में बढती मुश्किलो से निपटने की व्यवस्था करें।

(क) 15•5 से 16 मीटर से उपर के पुराने व नये सभी भवनो का हाई रेन्ज बिल्डंग की श्रेणी में रखने की व्य--वस्था करें जिससे सभी पुराने भवनो में भी निम्न तल में पार्किग की व्यवस्था की जा सके यह नियम सभी पर लागू हो तथा ऐसे सभी पुराने व नये भवनो जिसमें पार्किग की व्यवस्था की गई है उन्हें सम्पत्ति कर व अन्य करो में छूट का प्रावधान हो, व अन्य दूसरे बेहतर उपाय शामिल हो।

12. दिल्ली की सभी नीजि व सरकारी भूमि पर बसी बसतियो और वह सभी बसतियाँ जिन्हें प्रोविजनल/अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है ऐसी सभी बसतियो में ले आउट के बगैर व आसानी से सभी प्लाटो के कम समय/तय समय में नक्शे पास होने की प्रक्रिया का प्रावधान हो।

(क) दिल्ली की सभी नीजि व सरकारी भूमि पर बसी बसतियो और वह सभी बसतियाँ जिन्हें प्रोविजनल/ अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है ऐसी सभी बसतियो में बने सभी भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खचीली करके सभी भवनों को नियमित करने का प्रक्रिया/प्रावधान शुरू करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगो को भवन नियमित करने के अवसर प्राप्त हो जिससे सरकार /सिविक ऐजेनसियो की आय बढे।

13. नक्शे पास करने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खचीली होने का प्रावधान हो जिससे सभी नागरिको के अन्दर. नक्शे पास करवाने व सरकार की आय बढाने की भावना जागृत हो तथा अधिक से अधिक नक्शे पास हो।

14. पास नक्शे वाले पुराने मकानो को तोड कर उसी पास नक्शे अनुसार बिना सरकारी खर्च के बनाने की छूट का प्रावधान हो।

15. दिल्ली मुख्य योजना--2021 के पुर्नवालोकन/पुनःविचार के समय सीमा को पाँच साल से कम कर दो वर्ष करें।

16. अन्य वह सभी सुधार व उपायो को सम्मिलित करे जो आम नागरिको व व्यापारियो को रिशवत खोरी से निजात् दें।

भवीदय,

राकेश

राकेश कुमार

सूचना हेतु प्रेषित प्रतिया :--

1. अति• आयुक्त/निदेशक दिल्ली मुख्य योजना--2021 प्लानिग, दि•वि•प्रा•,विकास मीनार नई दिल्ली--110002.

2. उपाध्यक्ष दि•वि•प्रा•, विकास सदन, आई एन ए, नई दिल्ली--110023.